छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,

शंकर नगर, रायपुर

क्रमांक 2502/छगसूआ/2006 रायपुर, दिनांक 11/07/2006

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:- नोटशीट की प्रति देने के संबंध में सभी विभागों को मार्गदर्शन जारी करने बावत् ।

-----0-----

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग द्वारा हाल ही में कुछ अपील/शिकायत के प्रकरणों में यह आदेश पारित किया गया है कि यदि कोई आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नोटशीट की प्रतियों की मांग करता है तो वह भी उन्हें दी जानी होगी । सुनवाई के दौरान आयोग के ध्यान में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6, दिनांक 01 मार्च, 2006 लाई गई है, जो सभी विभागों को भेजा गया है । किसी बेबसाइट की जानकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत नहीं हो सकती है और अधिनियम की धारा-2 में अभिलेखों की परिभाषा के अन्तर्गत फाईल को शामिल किया गया है और फाईल का नोटशीट एक अभिन्न अंग है । अतः आयोग के निर्देशानुसार अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को पूर्व में जो परिपत्र जारी किया गया है, उसको निरस्त करते हुए पुनः सभी विभागों को यथोचित मार्गदर्शन जारी किया जावे, ताकि सभी विभाग नोटशीट की प्रति देने के संबंध में आगे नियमानुसार कार्यवाही कर सके और अनावश्यक रूप से आयोग के समक्ष इस बिन्दु पर अपील अथवा शिकायतों की संख्या न बढ़े ।

(एस0पी0 त्रिवेदी)
सचिव
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग